पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2016 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.2472

==========

व्यास नारायण भारद्वाज, पुत्र- स्वर्गीय श्री नारायण राय, निवास-गाँव-दहिया, डाकघर-मेहदौली, थाना-बरौनी, जिला-बेगुसराय, प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग के प्रमुख, एस. एस. वी. कॉलेज, कहलगांव, डाकघर-थाना-कहलगांव, जिला-भागलपुर।

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. कुलपति, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर अपने कुलसचिव के माध्यम से।
3. कुलसचिव, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर।

... ... उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री श्रवण कुमार

राज्य के लिए : श्री मधुसूदन राय, एससी 23 के एसी

विश्वविद्यालय के लिए : श्री रंजन कुमार सिन्हा

==========

रद्दीकरण – रिट याचिका उस आदेश को चुनौती देती है जो 29/12/2015 को एक सदस्यीय समिति द्वारा माननीय रिटायर्ड जस्टिस द्वारा पारित किया गया था, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि याचिकाकर्ता की वरिष्ठता/समायोजन 1/1/1981 से माना जाएगा, न कि प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि यानी 2/4/1979 से, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया गया है – याचिकाकर्ता के अनुसार, 30/12/1978 को स्थानीय समाचार पत्र 'इंडियन नेशन' में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में, याचिकाकर्ता को शंकरशाह विक्रमशिला कॉलेज, कहलगांव में प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के व्याख्याता के स्वीकृत पद पर नियुक्त किया गया था, नियुक्ति पत्र दिनांक 24/4/1979 के अनुसार, और उन्होंने 2/4/1979 को पदभार ग्रहण किया था। उन्हें 2/4/1989 से दस वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर समयबद्ध पदोन्नति देकर

विश्वविद्यालय द्वारा रीडर के पद पर पदोन्नत किया गया – उन्हें आगे प्रोफेसर के रूप में 2/4/1995 को पदोन्नत किया गया, जिसमें उनकी वरिष्ठता/सेवा को 2/4/1979 से प्रभावी माना गया – उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता को स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन के प्रकाशन और चयन प्रक्रिया का पालन करने के बाद एक स्वीकृत रिक्त पद पर विधिवत नियुक्त किया गया था – याचिकाकर्ता को प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से नियमित वेतन का भुगतान किया जा रहा है और उन्हें समयबद्ध पदोन्नति समय पर मिली, जिसमें उनकी सेवा 2/4/1979 से प्रभावी मानी गई – समिति द्वारा यह पाया गया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति के समय उनके पास व्याख्याता के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं थी, यह निष्कर्ष अस्थिर है – माननीय सेवानिवृत्त जस्टिस द्वारा पारित एक सदस्यीय समिति का दिनांक 29/12/2015 का आदेश निरस्त किया जाता है – विश्वविद्यालय को निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता की सेवा को 2/4/1979 से माने और कानून के अनुसार उन्हें सभी देय परिणामी लाभों का भुगतान करें – रिट याचिका स्वीकृत की जाती है – लागत का कोई आदेश नहीं।

संदर्भित:

डॉ. कमला कुमारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (सी डब्लू जे सी नं.1202/2019)

इंद्र नाथ झा बनाम बिहार राज्य (सी डब्लू जे सी नं.3464/2017)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार सिन्हा

<u>निर्णय एवं आदेश</u>

मौखिक

तारीखः23-04-2024

याचिकाकर्ता ने माननीय न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) की एक सदस्यीय समिति द्वारा पारित दिनांक 29.12.2015 के आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट आवेदन दायर किया है। एस. एन. झा (इसमें बाद में 'समिति' के रूप में संदर्भित), जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि याचिकाकर्ता की वरिष्ठता/अवशोषण की गणना 01.01.1981 से प्रभावी होगी, न कि उसकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से, अर्थात 02.04.1979, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया गया है।

2. याचिकाकर्ता के मामले के अनुसार, स्थानीय समाचार पत्र 'इंडियन नेशन' में प्रकाशित एक विज्ञापन के अनुसार 30.12.1978, याचिकाकर्ता को शंकर साह विक्रमशिला कॉलेज, कहलगांव में प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के व्याख्याता के स्वीकृत पद पर नियुक्ति पत्र, दिनांक 24.03.1979 के अनुसार नियुक्त किया गया था और याचिकाकर्ता ने 02.04.1979 को उक्त कॉलेज में कार्यभार ग्रहण किया था। याचिकाकर्ता को विश्वविद्यालय द्वारा 02.04.1989 से प्रभावी, दस वर्ष की सेवा पूरी करने पर रीडर के पद पर समयबद्ध पदोन्नति प्रदान की गई थी और इसके बाद उसे 02.04.1995 से प्रभावी रूप से प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता की वरिष्ठता/सेवा को 02.04.1979 से प्रभावी माना गया था।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता को स्वीकृत पद पर अखबार में विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद नियुक्त किया गया था। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में रिट आवेदन के अनुलग्नक 2 पर भरोसा किया कि कॉलेज में प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति में व्याख्याता का पद स्वीकृत था। याचिकाकर्ता ने 24.03.1979 के नियुक्ति पत्र के अनुसार 02.04.1979 को अपनी नियुक्ति प्रस्तुत की।

4. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता की नियुक्ति वैध थी और विश्वविद्यालय द्वारा उसकी सेवा के दौरान उसकी नियुक्ति की तिथि 02.04.1979 मानते हुए उसे उचित पदोन्नति दी गई थी, इसलिए अवशोषण क़ानून के अनुसार समिति द्वारा उसके अवशोषण की तिथि के अनुसार 01.01.1981 से बदलना उचित और वैध नहीं है।

5. विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 29.12.2015 का विवादित आदेश प्रस्तुत किया तथा प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के आमेलन के दावे पर निर्णय करते समय समिति ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि यदि संबंधित व्यक्ति की प्रारंभिक नियुक्ति वैध है, तो वह आमेलन क़ानून में निर्धारित कट ऑफ तिथि के बावजूद प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से पूर्वव्यापी वरिष्ठता का हकदार होगा।

6. तथापि, याचिकाकर्ता के दावे को समिति ने केवल इस आधार पर खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा स्वीकृत पद पर अपनी नियुक्ति के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया तथा यह भी कि प्रासंगिक तिथि को उसके पास अपेक्षित योग्यता नहीं थी।

7. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि समिति के समक्ष सुनवाई की तिथि पर, विज्ञापन की प्रति और शैक्षिक प्रमाण पत्र याचिकाकर्ता के पास उपलब्ध नहीं थे, तथापि, याचिकाकर्ता द्वारा प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने के अनुरोध पर समिति ने सुनवाई की तिथि बढ़ाने और याचिकाकर्ता के दावे का निपटारा करने से इनकार कर दिया।

8. याचिकाकर्ता ने विज्ञापन की प्रति (अनुलग्नक 1), अपेक्षित योग्यता की मार्कशीट, यानी वर्ष 1977 का ए.आई और ए.एस में एम.ए (अनुलग्नक 6) तथा स्वीकृत पद से संबंधित पत्र (अनुलग्नक 2)।

9. दूसरी ओर, विश्वविद्यालय के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि समिति ने याचिकाकर्ता के दावे पर सही निर्णय लिया है और किसी भी सहायक दस्तावेज के अभाव में द्वितीय अवशोषण क़ानून के अनुसार, उसके अवशोषण की तिथि 01.01.1981 से मानी है।

10. मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

11. अनुलग्नक 1, हिंदी समाचार पत्र 'इंडियन नेशन' में दिनांक 30.132.1978 को प्रकाशित व्याख्याता पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन है। प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति विषय भी व्याख्याता पद के लिए विज्ञापित पदों में से एक था।

12. अनुलग्नक 2 स्वीकृत पत्र है, जिसमें दर्शाया गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति विषय में व्याख्याता का पद 1972-73 के दो सत्रों के लिए स्वीकृत किया गया था, जिसे याचिकाकर्ता के अनुसार बाद में बढ़ा दिया गया तथा याचिकाकर्ता ने उक्त पद पर व्याख्याता के रूप में अपना कार्य निरंतर किया।

13. विश्वविद्यालय ने अपने जवाबी हलफनामे में इस तथ्य पर विवाद नहीं किया है कि जिस पद पर याचिकाकर्ता को नियुक्त किया गया था वह स्वीकृत पद नहीं था और इसके अलावा याचिकाकर्ता प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति में व्याख्याता के पद के लिए अपेक्षित योग्यता नहीं रखता था।

14. इसी तरह की परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने **डॉ. कमला कुमारी बनाम बिहार राज्य और अन्य(सीडब्ल्यूजेसी संख्या 10202/2019) और इंद्र नाथ झा बनाम बिहार राज्य और अन्य (सीडब्ल्यूजेसी संख्या 3464/2017)** के मामलों में व्याख्याता के अवशोषण की तारीख के संबंध में मुद्दे का फैसला किया है।

15. उपर्युक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में, यह बात सामने आती है कि याचिकाकर्ता को स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित होने तथा चयन प्रक्रिया के बाद रिक्त स्वीकृत पद पर विधिवत नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता को उसकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से नियमित वेतन दिया जा रहा था तथा उसे 02.04.1979 से उसकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए नियत तिथियों पर समयबद्ध पदोन्नति/योग्यता पदोन्नति भी मिली थी।

16. तदनुसार, मेरा यह विचार है कि समिति द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति स्वीकृत पद पर नहीं की गई थी और वह व्याख्याता के पद के लिए अपेक्षित योग्यता नहीं रखता था, जो टिकने योग्य नहीं है।

17. अतः माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस.एन. झा की एक सदस्यीय समिति द्वारा पारित दिनांक 29.12.2015 का आदेश निरस्त किया जाता है।

18. विश्वविद्यालय को याचिकाकर्ता की सेवाओं को 02.04.1979 से प्रभावी मानने तथा कानून के अनुसार उसे सभी स्वीकार्य परिणामी लाभों का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

19. परिणामस्वरूप, यह रिट आवेदन स्वीकार किया जाता है।

20. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

(अनिल कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

प्रभाकर आनंद/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।